न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, मधेपुरा।

–: आदेश :–

श्री विनय कुमार सिंह, वरीय उप समाहर्त्ता, समाहरणालय, मधेपुरा ने अपने पत्रांक शून्य दिनांक 29–03–2014 के प्रतिवेदित किया है कि विधि व्यवस्था कोषांग, मधेपुरा के संयुक्त आदेश ज्ञापांक 911/गो0, दिनांक 28–03–2014 के द्वारा लोक सभा आम चुनाव–2014 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से दिनांक 29–03–2014 को माणिकपुर चौक पर पुलिस बल के साथ प्रतिनियुक्त प्रभारी दंडाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा विभिन्न प्रकार के वाहनों की सघन जाँच/ तलाशी ली जा रही थी, के कम में गाड़ी संख्या–BR-11M-4647 की जाँच की गई, जिस पर बैठे श्री अनन्त कुमार पे0 स्व0 दुन्नी लाल मंडल, सा0 ईसराईन खूर्द, थाना कुमारखंड, जिला मधेपुरा के पास से एक लाईसेंसी रिवाल्वर एवं 80,000/–(अस्सी हजार)रू0 पाया गया। श्री कुमार ने बताया कि अपने पुत्र को रूपया भेजने हेतु निकासी की गई है। जाँच करने पर शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0–3216(कुमारखंड थाना), रिवाल्वर सं0–95706, अनुज्ञप्ति वर्ष 2013 तक नवीकृत एवं निरीक्षण अंचल अधिकारी, कुमारखंड द्वारा दिनांक 15–03–2014 अंकित पाया गया। उक्त अनुज्ञप्ति अगामी वर्ष के लिए नवीकृत नहीं रहने के कारण लोक सभा चुनाव–2014 को देखते हुए तत्क्षण संबंधित थाना या गन हाउस में जमा करने का निदेश अनुज्ञप्तिधारी को दिया जा चुका है।

श्री अनन्त कुमार पे0 स्व0 दुन्नी लाल मंडल सा0 ईसराईन खूर्द थाना कुमारखंड जिला मधेपुरा ने दिनांक 29–03–2014 को लिखित आवेदन पत्र समर्पित कर अपने नाम से निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीकरण वर्ष 2014 के लिए करने का अनुरोध किया है। समय पर नवीकरण नहीं कराए जाने का कारण बीमार रहना एवं दिल्ली के गंगा अस्पताल में ईजलाजरत रहना बताया गया है। इन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि शस्त्र का भौतिक सत्यापन दिनांक 15–03–2014 को अंचल अधिकारी, कुमारखंड द्वारा किया हुआ है। इन्होंने अपने नाम पर धारित शस्त्र से संबंधित बायोडाटा भी समर्पित किया है जिसमें दो शस्त्रों का अनुज्ञप्तियाँ यथा एन.पी.बोर रिवाल्वर अनुज्ञप्ति सं0–3216 पर धारित शस्त्र सं0–95706 एवं दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0–01/2002 पर धारित शस्त्र सं0–03216/49 अंकित है। दोनों अनुज्ञप्तियों की छायाप्रति अवलोकन से ज्ञात होता है कि इनका शस्त्र अनुज्ञप्ति वर्ष 2013 तक नवीकृत है।

समयावधि बीत जाने के बाद भी अनुज्ञप्ति नवीकरण के लिए प्रयास नहीं किए जाने एवं बिना अवधि विस्तार के शस्त्र लेकर घुमना अनुज्ञप्ति शर्त्त 9(ए), शस्त्र अधिनियम–1959 की धारा–17 एवं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के आरोप में प्रथम दृष्टया इनके आवेदन को अस्वीकृत करते हुए इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 162/विधि, दिनांक 01–04–2014 के द्वारा श्री कुमार के नाम से निर्गत एन.पी.बोर रिवाल्वर अनुज्ञप्ति सं0–3216 एवं दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0–01/2002 को तत्कालिक प्रभाव से "निलंबित" करते हुए उस पर धारित शस्त्र को संबंधित थाना अथवा मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा में जमा करने तथा अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में जमा करने का आदेश निर्गत किया गया। साथ ही अनुज्ञप्ति ससमय नवीकरण नहीं कराए जाने, बिना अवधि विस्तार के शस्त्र लेकर घुमने के आरोप में स्पष्टीकरण दिनांक 05–04–2014 तक समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी के न्यायालय, मधेपुरा में समर्पित करने का निदेश अनुज्ञप्तिधारी को दिया गया।

श्री कुमार ने अपना कारण पृच्छा जवाब, बैंक एकाउन्ट पासबुक की छायाप्रति, सर गंगा राम हॉस्पीटल, नई दिल्ली में ईलाज कराये जाने से संबंधित चिकित्सीय पूर्जा की छायाप्रति एवं बिहार गन हाउस, मधेपुरा में दिनांक 01–04–2014 को दोनों शस्त्रों को जमा किए जाने से संबंधित जमा पर्ची की छायाप्रति संलग्न कर अपनी उपस्थिति दिनांक 05.04.2014 को दर्ज करायी है। परन्तु अधोहस्ताक्षरी राज्य स्तर पर निर्वाचन संबंधी बैठक दिनांक 05.04.2014 एवं एडवाईजरी बोर्ड, पटना की बैठक दिनांक 07.04.2014 को आहुत रहने तथा उसमें भाग लेने हेतु चले जाने के कारण न्यायालय कार्य स्थगित करना पड़ा। इसलिए अगामी सुनवाई की तिथि दिनांक 11–04–2014 निर्धारित की गई। पुनः दिनांक 11.04.2014 को अनुज्ञप्तिधारी स्वयं एवं उनके विज्ञ अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं अपना पक्ष रखा। उनके विज्ञ अधिवक्ता कहना हुआ कि ये ऐसोसिएट प्रोफेसर, भूपेन्द्र ना0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा के हैं। इन्होंने अपने पुत्र विशाल गौरव एवं घरेलू कार्य हेतु बैंक से राशि की निकासी थी। परन्तु रास्ते में ही इनके वाहन की जाँच के दौरान रूपया/ रिवाल्वर पकड़ा गया। अनुज्ञप्तिधारी का रिवाल्वर अनुज्ञप्ति प्रदत्त है। यह बात सही है कि ईलाजरत रहने के कारण अपने शस्त्रों का ससमय नवीकरण नहीं करा सके हैं। यह केवल संयोग मात्र माना जा सकता है। न्यायालय में उपस्थित अनुज्ञप्तिधारी से शस्त्र नवीकरण हेतु आवेदन पत्र दिए जाने के संदर्भ में पूछे जाने पर बताया कि वे पूर्व में आवेदन कार्यालय में समर्पित नहीं किए थे। दिनांक 29–03–2014 को नवीकरण हेतु आवेदन किया गया है, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया है। निकासी की गई राशि के संबंध में पूछे जाने पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके।

अनुज्ञप्तिधारी श्री कुमार द्वारा समर्पित कारण पृच्छा आवेदन के साथ संलग्न बैंक एकाउन्ट एसटेटमेन्ट के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इनके द्वारा दिनांक 21.03.2014 को मो0 80,000/–(अस्सी हजार) रू0 मात्र की निकासी की है एवं अपने पुत्र विशाल गौरब को दिनांक 31.03.2014 एवं 02.04.2014 को 25,000–25,000 रू0 भेजा गया है। स्पष्ट है कि ये उक्त राशि दिनांक 29.03.2014 के बाद भेजा गया है। जबकि जाँच के दौरान के दौरान दिनांक

29.03.2014 को इनके पास में मो0 80,000/-रू0 पाया गया। श्री कुमार की मंशा स्पष्टतया संदिग्धता के घेरे में आता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 05-03-2014 को लोक सभा आम चुनाव-2014 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट जारी किए जाने के पश्चात् तत्क्षण आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है, जिसकी जानकारी आमजन को है। फिर भी अनुज्ञप्तिधारी इसके लिए अनभिज्ञ रहे, जिसके लिए वे स्वयं दोषी हैं। साथ ही बिना नवीकृत शस्त्र लेकर चलना भी अपराध की श्रेणी में आता है, जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता। अनुज्ञप्तिधारी को चाहिए था कि जबतक शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं हो जाता है, तबतक के लिए उक्त शस्त्र को नियमानुसार संबंधित थाना या गन हाउस में जमा कर दिया जाना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। आदेशोपरान्त शस्त्र को मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा में जमा किया गया है। यह कृत पूर्णरूपेण लापरवाही का द्योतक है। न्यायालय में उपस्थित अनुज्ञप्तिधारी को देखने से स्पष्ट होता है कि ये काफी उम्रदराज हैं। बायोडाटा में अंकित जन्म तिथि के अनुसार इनकी उम्र लगभग 64 वर्ष हो गया है एवं सम्प्रति बीमार चल रहे हैं तथा एक आँख भी पूर्णतया अंधा हो चुका है। ऐसी स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र रखने एवं उसका उपयोग करने में सक्षम नहीं जान पड़ता है।

अतः श्री कुमार के विज्ञ अधिवक्ता की दलील, श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण आवेदन एवं संचिका में संलग्न साक्ष्य की सम्यक परिसीलन के उपरान्त श्री कुमार का स्पष्टीकरण आवेदन तथ्यहीन एवं सत्य से पड़े है। उक्त आवेदन को अस्वीकृत करते हुए शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-17 एवं अनुज्ञप्ति शर्त्त 9(ए) का उल्लंघन मानते हुए श्री अनन्त कुमार पे0 स्व0 दुन्नी लाल मंडल, सा0 ईसराईन खूर्द, थाना कुमारखंड, जिला मधेपुरा के नाम से निर्गत एन.पी.बोर रिवाल्वर अनुज्ञप्ति सं0-3216 एवं दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-01/2002 को तत्कालिक प्रभाव से ''रद्द'' किया जाता है।

मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि उनके प्रतिष्ठान में श्री कुमार के द्वारा दिनांक 01-04-2014 को जमा की गई दोनों शस्त्र यथा रिवाल्वर सं0-95706 एवं दो नाली बन्दुक सं0- 03216/49 को किसी भी परिस्थिति में बिना सक्षम प्राधिकार से आदेश प्राप्त किए अनुज्ञप्तिधारी को हस्तगत नहीं करायेंगे। इस आदेश का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय।

प्रभारी पदाधिकारी, शस्त्र शाखा, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूर्व में जमा की गई दोनों शस्त्रों से संबंधित मूल अनुज्ञप्ति पुस्त में एवं शस्त्र पंजी में ''रद्द'' अंकित करवा कर हस्ताक्षर पृष्टांकित कर देंगे।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 217 /शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 11-4-14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल दंडाधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, कुमारखंड/ थानाध्यक्ष, मुरलीगंज/ मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस आदेश को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

प्रतिलिपि : श्री अनन्त कुमार पिता स्व0 दुन्नी लाल मंडल, सा0 ईसराईन खूर्द थाना कुमारखंड जिला मधेपुरा सम्प्रति- श्री अनन्त कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, वार्ड नं0-09, पो0+थाना- मुरलीगंज, जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

11/4/14

समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

(173)